न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 168/2017 **दायरा दिनांक : 07.12.2017**

उनवान

नन्दलाल पुत्र चतुर्भुज, जाति माली, निवासी पनवाड, हाल निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

2— रामलाल पुत्र चतुर्भुज, जाति माली, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— मोहनी बाई पत्नी मिठ्ठूलाल पुत्री चतुर्भुज, जाति माली, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4— जानकी बाई पत्नी मांगीलाल पुत्री चतुर्भुज, जाति माली, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

5— हेमन्त पुत्र धनराज, आयु 25 वर्ष, जाति खाती, निवासी खण्डिया कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सम्पूर्णा नन्द राय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1081/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने राजस्थारन सरकार के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 877 रकबा 8 बीघा कुल 2 किता की 13 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम पनवाड, तहसील खानपुर में रामलाल, नन्दलाल, माहनी बाई, जानकी बाई पिसरान चतुर्भुज व रामनारायण पिता भैरू तथा हेमन्त कुमार के संयुक्त खाते, कब्जे काश्त की है । जिसमें रामनारायण पिता भैरू का 1/6 हिस्सा है । रामनारायण पुत्र भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 17.09.2013 को हो चुकी है । रामनारायण पुत्र भैरू लाल ने दिनांक 07.02.2013 को नन्दलाल आत्मज चतुर्भुज, जाति माली, निवासी पनवाड के पक्ष में वसीयत की थी । वसीयत रामनारायण के कहे अनुसार लिखी गई तथा रामनारायण ने पढकर वसीयत पर अपना निशानी अंगूठा लगाया, जो दो गवाहों व उप पंजीयक, खानपुर में रजिस्टर्ड है । उक्त आराजी रामनारायण की मृत्यु के बाद से नन्दलाल के कब्जे काश्त में चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी रामनारायण की स्वार्जित आराजी है जिसका अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार रामनारायण को प्राप्त था । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली संग्रह सार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2017 को राजस्व कैम्प पनवाड के बाबत अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया गया है और अपने अधिकारों से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2017 से पूर्व दिनांक 27.04.2017

एवं 15.05.2017 को भी अपीलांट एवं उसके अभिभाषक को राजस्व कैम्प दिनांक 06.07.2017 के बाबत कोई सूचना नहीं दी गई । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं अपीलांट के अभिभाषक को राजस्व कैम्प दिनांक 06.07.2017 के बाबत कोई सूचना नहीं दी गई । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2003 (1) नेज 647, आर आर डी 1988 पेज 23 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 06. 07.2017 इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी में खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने का जो दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था उसमें मृतक खातेदार रामनारायण के पुत्र, पुत्री, विधवा, बहन, भाई अथवा आराजी के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अपीलांट वसीयत के आधार पर मृतक खातेदार की आराजी में स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाना चाहता है जबकि वसीयत के प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था किन्तु वादी के द्वारा ऐसा नहीं कर केवल राजस्थान सरकार को ही पक्षकार बनाया गया है एवं वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार रामनारायण की स्वार्जित सम्पत्ति कहकर दावा लाया है इस सम्बन्ध में भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया है । अपीलांट द्वारा बहस के दौरान आर आर डी 1998 पेज 23 पेश की गई जिसमें यह कहा गया है कि खातेदार टीनेन्ट अपने खाते की जमीन को वसीयत इत्यादि कर सकता है ।

हमारे द्वारा भी पत्रावली का अवलोक एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर मनन किया गया । उपरोक्त विवादित आराजी में रामनारायण पिता भैरू का 1/6 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है एवं अपीलांट रामनारायण की वसीयत के आधार पर स्वयं को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करवाना चाहता है । उपरोक्त विवादित आराजी शामलाती है तथा वसीयत पत्र में मृतक रामनारायण के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि मैं ला औलाद हूं मेरी पत्नी का भी देहावसान हो चुका है तथा मेरा भतीजा नन्दलाल मेरे पास रहता है । मेरी सेवा दवा दारू करता है अतः मैं नन्दलाल पुत्र चतुर्भुज, जाति माली के पक्ष में वसीयत करता हूं । इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अधिकारों की घोषणा के लिए वसीयत का प्रमाणिीकरण होना आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा अन्य हितबद्ध खातेदार एवं व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया

है । इस आधार पर दावा खारिज फरमाया गया है जो आंशिक रूप से उचित है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया गया है तथा वादी को दावा प्रमाणीकरण का कोई अवसर प्रदापन न करते हुए केवल उपरोक्त बिन्दू पर दावा खारिज किया है जो उचित नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय वसीयत एवं अन्य तथ्यों की गहनता से जांच कर पुनः सुनवायी करें कि क्या मृतक रामनारायण की आराजी स्वार्जित है अथवा पैतृक है ? क्या मृतक रामनारायण के अन्य कोई वारिस नहीं है ? क्या मृतक रामनारायण के द्वारा जो वसीयत की गई है वह प्रमाणित है ? क्या मृतक रामनारायण को वसीयत करने का अधिकार था ? इत्यादि प्रश्नों पर गहनता से जांच कर पुनः मेरिट पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा